

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक.....

संचिका संख्या-20/वि० 1-08/2015/विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-171 दिनांक 02.11.2015 की कंडिका 5 में अंकित "राशि की निकासी राशि की निकासी बिहार ट्रेजरी कोड- 2011 के नियम 270 के अनुसार BTC Form-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (फार्म 42A) में निर्धारित अवधि में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जिसे प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को निर्धारित अवधि में समर्पित किया जायेगा" के स्थान पर "राशि की निकासी ए०सी० विपत्र BTC फार्म-26 पर की जाएगी"। राशि का समायोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना में डी०सी० विपत्र पर करना सुनिश्चित किया जाएगा।

2. स्वीकृत्यादेश संख्या-171 दिनांक 02.11.2015 के कंडिका 5 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। शेष यथावत रहेगा।

3. उक्त संशोधन में विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्र, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-12 एवं 20, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा एवं प्रशाखा-5, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 198

पटना, दिनांक 07/12/2015

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव